

निगम की आय बढ़ाने काउंटर शुल्क में संशोधन सूचना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर परिषद की बैठक दिनांक 13.11. 2025 को निगम की वित्तीय आय बढ़ाने हेतु आवेदन शुल्क में वृद्धि किये जाने प्रस्तुत प्रस्ताव में संकल्प पारित किया गया है। जिसके आधार पर काउंटर आवेदन फार्म में निम्नानुसार शुल्क में संशोधन किया गया है। जैसे – भवन अनुज्ञा पक्का निर्माण फार्म 20 रुपये, भवन अनुज्ञा कच्चा निर्माण फार्म 10 रुपये, बिजली एनओसी फार्म 10 रुपये, स्वनिर्धारण संपत्तिकर विवरणी फार्म 10 रुपये, ठेकेदारी पंजीयन फार्म 10 रुपये, नामांतरण फार्म (निगम संपत्ति) 50 रुपये, लायसेंस नवीनीकरण हेतु आवेदन 10 रुपये, जन्म-मृत्यु के एक माह से अधिक किन्तु एक वर्ष के भीतर शपथ पत्र और विलंब शुल्क 10 रुपये, एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने पर कार्यपालन मजिस्ट्रेट की अनुमति एवं विलंब शुल्क 10 रुपये किया गया है। इसी प्रकार समाचार पत्रों में विज्ञापित भूखण्डों और दुकान निविदाधनिलामी हेतु फार्म को योजना के नियमानुसार शुल्क लिया जायेगा।